संख्या-47/2018/1042/71-3-2018-जी-158/2017टीसी-5

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 17 दिसम्बर, 2018

विषयः- केन्द्र सहायितत योजना (फेज-1) के अंतर्गत ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज, बस्ती के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2018-19/588, दिनांक 11-12-2018, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, बस्ती के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, बस्ती के निर्माण कार्य हेतु अब तक निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-147/2016/1801/71-1-2016-जी-226/2016, दिनॉक 26-07-2016	500.00
2	संख्या-219/2016/3056/71-1-2016-जी-226/2016, दिनॉक 26-12-2016	1000.00
3	संख्या-76/2017/879/71-1-2017-जी-226/2016, दिनॉक 16-05-2017	554.16
4	संख्या-119/2017/3443/71-1-2017-जी-226/2016, दिनॉक 03-11-2017	5500.00
5	संख्या-06/2018/112/71-3-2018-जी-226/2016, दिनांक 24-03-2018	4500.00
	योग	12054.16

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज, बस्ती के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

प्रायोजना का नाम/जनपद	मूल स्वीकृति का शासनादेश	लागत	अब तक कुल आवंटन	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त आवंटन
मेडिकल कालेज, बस्ती	संख्या-147/2016/1801/71-1-2016-जी-226/2016, दिनॉक 26-07-2016	19568.48	12054.16	1000.00

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. मूल स्वीकृति के शासनादेश संख्या-147/2016/1801/71-1-2016-जी-226/2016, दिनॉक 26-07-2016 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:-47/2018/1042(1)/71-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बस्ती।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8. नियोजन-अनुभाग-4
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।